त्रिशला

फर्द अहकाम

शिवदयाल बनाम फूलचन्द

न्यायालय- न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर)

संख्या 11/15 दावा

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/12	आज यह पत्रावली वादीगण के [illegible] पेश होकर पेश हुई। पत्रावली राजस्व [illegible] लोक अदालत [illegible] पेश हुई। पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया। पक्षकारान के राजीनामा [illegible] हुई। [illegible] पत्रावली [illegible] राजस्व लोक अदालत [illegible] राजीनामा [illegible] निर्णय हेतु [illegible] पत्रावली [illegible] बाद तामील [illegible]	(फूलचन्द) शिवदयाल बाल किशन मी[illegible]

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2021.01.12 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रेक) शाहपुरा /
जिला जयपुर (राज0) कैम्प चौमू

पीठासीन अधिकारी - श्री रवि विजय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या - 11/2015 पुरानी 196/2016

उनवान मुकदमा

1. श्रीकल्याण } पि0 प्रभुदयाल जाति मीणा
2. रामकिशन } निवासी धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
— वादीगण

बनाम

1. फूलचन्द } पि0 गंगाराम उर्फ गंगल्या जाति मीणा निवासी मीणो का मोहल्ला
2. श्रीकिशन } थार ग्रामीण बैंक के पीछे, धवली
हाल निवासी प्लाट न0 14 नामदेव कालोनी, नींदड़ बेनाड़ रेलवे स्टेशन की पीछे
तहसील आमेर जिला जयपुर
3. उप पंजीयक कार्यालय तहसील शाहपुरा
4. तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
— प्रतिवादीगण

उपस्थित - श्री [illegible] शर्मा - अधिवक्ता वादीगण
श्री [illegible] आट अधि. प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18.05.2017

दावा वादीगण संक्षेप में इस प्रकार पेश किया गया है कि उप0 ख0 नं. 2415/0.18, 2440/0.20, 2443/0.11, 2444/0.13, 2459/0.43, 2463/0.26, 2784/0.31, 2788/0.22, 2461/2793/0.08 कुल किता 9 रकबा 1.92 हेक्टेयर में प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम धवली तहसील शाहपुरा (जयपुर) में प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 24.11.1996 को हो गई, लेकिन था। प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु [illegible] नामान्तकरण उनके नाम नहीं खुलवाया। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का नामान्तकरण उनके नाम नहीं खुलवाया। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का [illegible] वादीगण से दिनांक 3.5.1997 प्रतिवादीगण सं0 1, 2 से वादीगण ने दिनांक 3.5.1997 1/2 हिस्से की भूमि को प्रति वादीगण से ही वादीगण काबिज रहकर काश्त को खरीद की थी तथा खरीद दिनांक से ही वादीगण को खातेदार काश्तकार के करते चले आ रहे हैं। उस दिनांक से वादीगण को खातेदार काश्तकार के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। लेकिन प्रतिवादीगण के आज तक वादीगण के नाम विक्रय पत्र तस्दीक नहीं करवाया है तथा विक्रयपत्र तस्दीक करने से वादीगण उक्त 1/2 भाग की भूमि पर शान्तिपूर्वक लगातार रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं कब्जा मुखालफाना से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। Signature Not Verified [illegible] हो गये हैं। लेकिन (लोरडाईज) वादीगण को खातेदार [illegible] वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण दिनांक [illegible] की कि उक्त 1/2 की भूमि को प्रतिवादीगण अपि तथा एलाटिया [illegible] चाहिये है कर एक किसी स्वरूप [illegible] अपने उक्त मनसूबों में सफल होकर एवं [illegible] कर और/प्रतिवादीगण [illegible] अपने उक्त मनसूबों में सफल हो गये तो वादीगण अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। अतः दावा अन्दर मियाद पेश है। (PTO-2)

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2021.01.12 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

(रवि विजय)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रेक)
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

अन्त मे निवेदन किया गया है कि वादीगण को विवादित भूमि के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे वादीगण का नाम अमल दरामद कराया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वर्णित आराजी के 1/2 भाग मे वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे बल्कि शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें। उक्त भूमि के 1/2 भाग का किसी दिगर व्यक्ति के पक्ष मे बेचान नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं० 3,4 के विरुद्ध दिनांक 20.11.15 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादीगण सं० 1,2 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा व वकालतनामा पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली है। वादीगण की ओर से जवाबुल जवाब दावा पेश किया गया। जो संलग्न पत्रावली है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजस्व लोक अदालत से प्रभावित होकर प्रस्तुत प्रकरण मे राजीनामा पेश हुआ, जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित पक्षकारान ने प्रस्तुत प्रकरण का लोक अदालत मे मुताबिक राजीनामा निर्णय किया जाने का कथन किया।

हमने लोक अदालत की भावना से पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 ग्राम धपली के खाता सं. 32 मे गंगला पुत्र शंकर हि. 1/2, श्रीदयाल, रामकिशन पुत्र प्रभात, मु. लक्ष्मी बेवा प्रभात हि. 1/2 कौम मीणा सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार गंगाराम पुत्र शंकर जाति मीणा की दिनांक 21.11.1996 को मृत्यु हो चुकी है, वर्तमान ग्राम धपली की खातेदारी प्रतिवादी सं० 1,2 के पिता के नाम ही दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी सं० 1,2 के नाम विरासत के अनुसार खातेदारी दर्ज नही हुई है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वर्णित भूमि के खातेदार गंगला पुत्र शंकर के हि० 1/2 भाग की भूमि पर वादीगण का 12 वर्ष से अधिक समय से एकवर्षी पजेशन है एवं मौके पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं० 1, 2 का उक्त 1/2 भाग की भूमि से कोई लेना देना नही रहा है, न ही उनका वर्तमान मे कोई कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं० 1, 2 स्वयं ने आपसी राजीनामा मे वादीगण का वर्ष 1997 से कब्जा काश्त होना माना है। दोनो पक्षों ने आपसी रजामन्दी से राजीनामा लोक अदालत मे पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2021.01.12 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः लोक [illegible] की भावना से मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा [illegible] ख. नं. 2415, 2440, 2443, 2444, 2459, 2463, 2786, 2788, 2801/2793 [illegible] रकबा .92 हैक्टेयर वाके ग्राम धपली तह० शाहपुरा (जयपुर) का हि० [illegible] भाग की खातेदारी से खातेदार गंगला पुत्र शंकर का नाम हटाया किया जाता है तथा उक्त 1/2 भाग पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (P.T.O.-3)

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

तदनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद किया जावे, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वर्णित आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की व्यवधान पैदा नहीं करे। वादीगण को नकल पेटाबुक पर जवाब तलब नहीं करें। खर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय दिनांक 18.5.2016 को लोक अदालत में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
[illegible] जिला–जयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2021.01.12 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर
(राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट)

दिनांक :– 18/05/2017

कैम्प का स्थान :– बिदारा
पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय, उपखण्ड अधिकारी (शाहपुरा)

उनवान

1. शिवदयाल
2. बालकिशन

} पि0 प्रभुदयाल जाति मीणा
निवासी धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ....वादीगण

बनाम

1. फूलचन्द
2. श्रीकिशन

} पि0 गंगाराम उर्फ गंगल्या जाति मीणा निवासी मीणों का मोहल्ला थार ग्रामीण बैंक के पीछे धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नं. 74 नामदेव कॉलोनी, नींदड बेनाड रेलवे स्टेशन की पीछे तहसील आमेर जिला जयपुर

3. उप पंजीयक कार्यालय तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

....................प्रतिवादीगण

उपस्थित – श्री रमेश चन्द शर्मा–अधिवक्ता वादीगण
श्री सूरजमल जाट–अधिवक्ता प्रतिवादीगण

<u>दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नम्बर :–11/2015 पुनः दर्ज 196/2016
निर्णय दिनांक :– 18.05.2017

दावा वादीगण लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा आ.ख.नं. 2415, 2440, 2443, 2444, 2459, 2463, 2784, 2788, 2461/2793 किता 9 रकबा 1.92 हैक. वाकै ग्राम धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी से खातेदार गंगला पुत्र शंकर का नाम हजफ किया जाता है तथा उक्त 1/2 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद किया जावे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वर्णित आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करें। वादीगण से जबरन बेदखल कर जबरन कब्जा नही करें। निर्णय दिनांक 18.05.2017 को लोक अदालत में सुनाया गया।

(रवि विजय)

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2021.01.12 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए [illegible] [illegible] के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए नि[illegible]व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

Scanned with CamScanner